

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2021

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001  
— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्रीराम, निवासी ग्राम भाटीवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।  
Also At-1  
रामकुमार, 105, हरिजन मौहल्ला, भाटीवाड, जिला झुंझुनू।  
Also At-2  
रामकुमार, प्लाट एट पट्टा नं0 13, भाटीवाड, जिला झुंझुनू।
2. अनिल कुमार पुत्र रामकुमार
3. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार
4. श्रीमती संजना पत्नि रामकुमार  
समस्त निवासी वार्ड नं0 5, ग्राम भाटीवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
5. इन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नांगली सलदी सिंह, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू।  
— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधारा 14 सिक्कूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा ( एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ) -..... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 09.03.2021

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ( पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर्स ( इण्डिया ) लि0 ) के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के पेटे रूपये 4.00 लाख अक्षरे चार लाख की ऋण सुविधा ऋण खाता संख्या L9001060113881284 ( पुराना ऋण खाता संख्या SAME ) दिनांक 10.12.2017 स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- अचल सम्पत्ति:- प्लाट एट पट्टा नं0 13 भाटीवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू नपती 305.96 Sq. Yrd अप्रार्थी नं01 रामकुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है:-

पूर्व में : मकान इन्द्र  
पश्चिम में : आम रास्ता  
उत्तर में : मकान गिरधारी

A

जिला कलक्टर झुंझुनू

दक्षिण मे : खुली जगह ( पडत भूमि )  
 अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण एवं ब्याज को चुकाने मे चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक के द्वारा दिनांक 10.01.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति ( एन0पी0ए0 ) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.02.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 3,58,355/- ( अक्षरे तीन लाख अठावन हजार तीन सौ पचपन रूपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक दिनांक 10.01.2020 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार ( बैंक ) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त गिरवीकृत सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा रोक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिव्योरिटार्डिजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिव्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं0 1 रामकुमार के मालिकाना हक की प्लाट एट पट्टा नं0 13 भाटीवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू नपती 305.96 Sq. Yrd स्थित भूमि व निर्मित आवासीय सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान ) 09/03/21  
 जिला कलक्टर एवं  
 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू